न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0 तारीख दायरा तारीख फैसला

[illegible]/2025 17.02.2025 14.11.2025

पीठासीन अधिकारी–श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1- छोटूलाल आत्मज छोगालाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम बम्बूलिया रणमल तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

2- भैरूलाल आत्मज छोगालाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम बम्बूलिया रणमल तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

(प्रार्थीगण)

बनाम

1- रामेश्वर आत्मज किशनलाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम बम्बूलिया रणमल तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

2- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

(अप्रार्थीगण)

1- प्रार्थीगण की ओर से– श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट

2- अप्रार्थी कम 1 की ओर से –श्री रामबाबू दाधिच एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

प्रार्थी ने उपरोकत शीर्षक का प्रार्थना पत्र न्यायालय में निम्न रूपेण पेश किया है :–

यह है कि ग्राम बम्बूलिया रणमल तहसील डीगोद जिला कोटा राज0 में खाता नं0 नया 47 पुराना 41 पर खसरा नं0 320/35 की 0.80 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। यह कि उपरोक्त भूमि पर पिछले 60 वर्ष से प्रार्थीगण के पिता छोगा लाल जी का कब्जा काश्त चला आ रहा था तथा उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थगण का कब्जा काश्त आज दिन तक निरन्तर चला आ रहा है। यह कि राजस्व अधिकारियो द्वारा उक्त भूमि वर्ष 1988 में प्रतिपक्षी नं0 1 को बिना मोका स्थिती व कब्जे की रिपोर्ट तलब किये सहवन से आवंटन करदी गयी तथा प्रतिपक्षी न० 1 का कभी भी यानी वर्ष 1988 के पूर्व अथवा आवंटन के पश्चात से कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा नहीं रहा है। वर्तमान में प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है और वर्तमान में प्रार्थीगण की फसल खडी हुई है। यह कि वर्तमान में भूमियों की कीमत बढ जा[illegible]

सहाय[illegible]क्टर
दीगोद, जि[illegible] (राज.)

न्यायालय [illegible] ... निर्णय प्राप्त हो सकेगा । उक्त विवादग्रस्त भूमि की ... से मंगवाया जाना न्यायोचित

प्रतिपक्षी नं0 1 के मन में बेइमानी आ जाने के कारण प्रतिपक्षी नं0 1 प्रार्थीगण के पास नांक 10–2–2025 को आया ओर प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने व फसल बरबाद रने की तथा उक्त भूमि को रिकार्ड के अनुसार रहन बेचान करने की धमकी। जबकि तिपक्षी नं0 1 को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत पैदा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि प्रतिपक्षी नं0 1 को उक्त कृत्य करने से नहीं रोका गया तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी। यह कि प्रार्थीगण का केस प्राईमा फँसाई केस है तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिपक्षीगण प्रार्थीगण को वाके ग्राम बम्बूलिया रणमलतहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नं0 320/35 की 0.80 हैक्टर भूमि पर काश्त करने से नहीं रोके। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करें, तथा उक्त भूमि को अथवा उसके किसी भाग की भूमि को अन्य व्यक्ति को रहन बेचान अन्तरण व खुर्द नहीं करे तथा बेदखल नहीं करें। उक्त कृत्य न तो स्वंय करे ओर न अपने प्रतिनिधि द्वारा ही करावे। तथा मोके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे।

प्रार्थीगण की ओर से निम्न फर्द दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो पत्रावली में शामिल मिसल है।

1– नकल जमाबन्दी सम्वत 2075–78 ग्राम बम्बूलिया रणमल
2– नकल जमाबन्दी खाता सरकार सं0 2075–78
3– नकल नक्शा दिनांक 04.12.2024
4– नकल खातेदारी पट्टा दिनांक 11.02.2013
5– नकल गैर खातेदारी पास बुक्स संख्या 2043–62
6– नकल ट्रेस
7– नकल ट्रेस सिवायचक
8– नकल खसरा गिरदावरी सन 2023 (खारीज)
9– नकल खसरा गिरदावरी सन 2024 खरीफ
10– नकल गिरदावरी सन 2024 (रबी)

प्रार्थी अधि0 द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर अप्रार्थीगण की तलवी विधिवत करवायी गयी। अप्रार्थी कम 1 से अधि0 रामबाबू दाधिच ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया जो शामिल फाईल किया गया। अप्रार्थीगण अधि0 की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार वादीगण को उक्त वाद में किसी भी प्रकार की कोई कामयाबी मिलने की संभावना नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र

सह... ...क्टर
दी... ... (राज.)

CamScanner

की मद नम्बर 2 में वर्णित आराजी स्थित होना स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 3 ने वर्णित तथ्य असत्यएवं निराधार है तथा स्वीकार नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 4 में वर्णित तथ्य में अप्रार्थी क्रम 1 को उक्त आराजी का आवंटन होना और अप्रार्थी क्रम 1 का कब्जा काश्त होना स्वीकार है, शेष तथ्य असत्य एवं निराधार है। तथा स्वीकार नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 5 में वर्णित तथ्य असत्य एवं निराधार है तथा स्वीकार नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 6 में प्रार्थी के पक्ष में किसी प्रकार का कोई बेलेन्स आफ कनवीनियन्स एवं अपूर्णनीय क्षति होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है बल्कि प्राईमाफेसाई केस व सुविधाका सन्तुलन अप्रार्थी क्रम 1 के पक्ष में है। यह कि जवाब के अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक रूप से निवेदन किये जावेगे। अतः प्रार्थना प्रार्थीगण अस्वीकार है।

विशेष आपत्तियाँ:-

- यह कि ग्राम बम्बूलिया रनमल पटवार हल्का मदनपुरा तहसील दीगोद नम्बर 35 रकबा 0.80 हैक्टर आराजी स्थित है। उक्त आराजी का अपार्थी आवंटन अवटन अधिकारी द्वारा कर आराजी पर कब्जा प्रदान किया बाद आवंटन अप्रार्थी क्रम मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ है। बाद आवंटन इंतकाल नम्बर 14 दिनाक 20.05.89 को अपार्थी कम 1 के गैरखातेदारी मे दर्ज कियागया तथाबाद आवंटन आवंटन नियमों की अपार्थी क्रम द्वारा पालना करने से प्रशासन मार्च के संग अभियान वर्ष 2013 में राजस्थान निवेशन सामान्य उपनिदेशन शते 1955 की शर्त के अधीन दिनांक 11.02.13 को कम 1 को खातेदारी प्रदान की गयी तब से अपार्थी क्रम 1 खसरा नम्बर 320/35 रकबा 0.80 हैक्टर का खातेदार चला आ रहा है। तथा कृषि ऋण हेतु बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कोटडादीपसिंह से अप्रार्थी क्रम द्वारा वित्तीय ऋण प्राप्त कर रखा है।
- यह कि खसरा नम्बर 35 का शेष रकबा 0.47 हैक्टर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे खता सरकार दर्ज है।
- यह कि प्रार्थीगण का अप्रार्थी क्रम 1 की आराजी से कभी कोई संबंध नही रहा है किन्त पडौसी खातेदार होने के आधार पर अप्रार्थी क्रम 1 की आराजी पर बुरी नजर होने के कारण अप्रार्थी नम्बर 1 की आराजी को जबरन हडप करना चाहता है और इसी कारण प्रार्थीगण द्वारा अपार्थी क्रम 1 के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

- यह कि अप्रार्थी क्रम 1 गरीब काश्तकार ग्रामीण व्यक्ति है जो उक्त आराजी पर काश्तकर अपने तथा अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है आज भी अप्रार्थी ही खसरानम्बर 320/35 पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है।
- यह कि प्रार्थीगण को माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है न ही प्रार्थीगण को धारा 212 के अन्तर्गत अप्रार्थी क्रम 1 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है, इस कारण प्रार्थीगण द्वारा असत्य तथ्यो के आधार पर जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है वह खारिज किये जाने योग्य है।
- यह कि प्रार्थीगण आदतन अपराधी व्यक्ति है जो गरीब व्यक्तियो की के कारण अप्रार्थी क्रम 1 के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। आराजी पर जबरन कब्जा कर लेते है. बाद मे पैसा लेकर छोड़ते है। इसी कुषडयन्त्र के कारण अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण को बहस पर नियत किया गया। बहस उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की सुनी गयी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराया एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब के कथनों को दोहराया गया है। राजस्व रिकॉर्ड एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस का गहन अध्ययन अवलोकन एवं मनन किया गया।

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 के अनुसार किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के लिये प्रकरण में निम्न शर्तो की पालना आवश्यक है –

1. क्या यह प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला है ?
2. क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?
3. क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है ?

उपरोकत निर्धारित शर्तो के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन अध्ययन करने पर हम पाते है कि विवादित आराजी वर्तमान में अप्रार्थी के हिस्से दर्ज है अतः प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी के पक्ष में है। विवादित आराजी अप्रार्थी पर प्रार्थी अपना कब्जा साबित नहीं कर पाया है अतः प्रकरण में सुविधा का संतुलन केवल

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पक्ष में है। वर्तमान में विवादित आराजी प्रार्थी के नाम दर्ज है, जिससे विवादित आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने से अप्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना संभावित होगी।

उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रस्तुत प्रकरण प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं है और सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है और इसी कारण प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई अपूरणीय क्षति भी कारित नहीं हो रही है। प्रतिपक्षीगण खातेदार कृषक है एवं खातेदार के विरूद्व किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः पत्रावली के समस्त राजस्व रिकार्ड, प्रस्तुत दस्तावेजात एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण अपना पक्ष रखने व सिद्व करने में विफल रहा है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में पूर्व में दिनांक 17.02.2025 को जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)